

F. No. 14039/69/2014-UTS-I

भारत सरकार/Government of India

गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs

(UTS-I Desk)

North Block, New Delhi-1.

Dated the 09 July, 2014

To,

Dr. Nutan Thakur,
5/426, Viram Khand
Gomati Nagar,
Lucknow.
(Uttar Pradesh).

Sub: Supply of information under Right to Information Act, 2005.


Sir,

Kindly refer your application dated 15.05.2014 (received in this Desk on 04.07.2014). So far as UTS-I and UTS-II Desks are concerned, the information may be treated as 'NIL'.

2. The designated 1st Appellate Authority against the decision of Director (Services) and CPIO is as follows:

Shri Iqbal Singh Chahal,
Joint Secretary (UT),
Ministry of Home Affairs,
North Block, New Delhi-110 001.

Yours faithfully,



(Anuj Sharma)

Director (Services) & CPIO

Tel. No. 2309 2436

Copy to:

The CPIO, Admn. Division, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi

A copy of RTI application is enclosed. The requisite information may be given directly to the applicant.



(Anuj Sharma)

Director (Services) & CPIO

Tel. No. 2309 2436

7

O/o Director (Service/MHA)
Dy. No. 201-R-7
Date 04-07-2014

To be replied in Hindi

RTI MATTER/TIME BOUND

UTS-4 Desk/MHA
Dy. No. 140
Date 8/7/14

No. A- 43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

1
8

New Delhi, Dated the 27th June, 2014.

07 JUL 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application filed by Dr. Nutan Thakur under the Right to Information Act, 2005.

The undersigned is directed to refer to the application dated 15/05/2014 under the RTI Act, 2005 filed by Dr. Nutan Thakur which was received in this Ministry on 19/05/2014. Therein the applicant had sought information about "All Commissions formed by the Government of India under the Commission of Inquiry Act, 1952 since 15/08/1947 and related aspects."

2. The information requested by Shri Thakur was presumed to be available with the Judicial Division and the application was accordingly forwarded to that Division. However, the Judicial Division has returned the application to the Nodal RTI Section with the remarks that the information sought was not related to their Division.

3. Since the information about "Commissions formed by the Ministry of Home Affairs under the Commission of Inquiry Act, 1952" is not available with any particular Department/Division of this Ministry, the application is being forwarded to all designated CPIOs of this Ministry for furnishing available information directly to the applicant.

Encl: As above


(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India.

To

✓ All CPIOs in the Ministry of Home Affairs (P) as per list attached.

Copy for information to:

Dr. Nutan Thakur,
5/426, Viram Khand
Gomti Nagar
Lucknow
UTTAR PRADESH.

RTI
A
4.7.14

US (UTS-4) / DCPRO

7/7/14
S. Bhandari

16)

23/11/14

फा0सं0 16/3/2014-न्यायिक एकक

2

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(न्यायिक एकक)

'सी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II, जयसिंह रोड

नई दिल्ली- 110 001

जून 17, 2014

कार्यालय ज्ञापन

-विषय:- डॉ नूतन ठाकुर, लखनऊ की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र

मैं, आर टी आई अनुभाग के का०ज्ञा० सं० ए-43020/01/2014- आरटीआई दिनांक 09.06.2014, जिसके द्वारा डॉ नूतन ठाकुर, लखनऊ की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2014 की दो प्रतियाँ जो कि इस मंत्रालय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय को संबोधित हैं, का संदर्भ ग्रहण करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के अंतर्गत 15.08.1947 से 15.05.2014 तक गठित समस्त आयोगों के संबंध में जानकारी मांगी है। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना इस प्रभाग से संबंधित नहीं है। इस प्रभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रभाग द्वारा ऐसे किसी आयोग का गठन नहीं किया गया है।

2. यह सूचना इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से संबंधित प्रतीत होती है। यह प्रभाग संबंधित प्रभागों से अवगत नहीं है, चूँकि आरटीआई अनुभाग इस मंत्रालय को नोडल अनुभाग है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को समन्वय करता है। यह आवेदन पत्र उस अनुभाग को इस अनुरोध के साथ स्थानांतरित किया जा रहा है कि आवेदन पत्र संबंधित प्रभागों को स्थानांतरित कर दिया।

जय प्रकाश अग्रवाल
16/6/14

सं० सं० (न्या०) एवं के०लो०सू०अ०

☎2343 8113

✓ सेवा में, गृह मंत्रालय
उत्तर सचिव (आर० टी० आई०)
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
संलग्नक - यथोपरि

प्रति सूचनार्थ प्रेषित-

(१) डॉ नूतन ठाकुर, 5/426, विराम खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

श्री. शर्मा
50(RTI)
12/6

AM CPIO

जय प्रकाश अग्रवाल
16/6/14

सं० सं० (न्या०) एवं के०लो०सू०अ०

43421 BTJ/MAR/14

PLEASE ISSUE
PAI SECTION

Handwritten signature
10/6/14

सं. ए-43020/01/2014 आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 09/06/2014

कार्यालय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री डॉ. पूनम ठाकुर का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री डॉ. पूनम ठाकुर के दिनांक: 15/05/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक: 19/05/2014 को प्राप्त) को प्र. प्राधिकर प्रभाग को अग्रोपित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रोपित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक: 20/05/2014 की रसीद सं. ~~29779~~ के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) ~~नहीं किया है क्योंकि वह के पी. एन. श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

0/c

सु. सामंत

(एस. सचिव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्र. प्राधिकर (प्र. प्राधिकर)

एन.डी.डी. - II, पब्लिक रिस. नॉन-पब्लिक


प्रति सूचनार्थ प्रेषित : 0

श्री/श्रीमती/सुश्री डॉ. पूनम ठाकुर

5/426 - विरायत

गोपनीकरण, लोक (पी.एन.)


(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)



3041/RTI/4444/2014
2/6/14

4

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार,
नयी दिल्ली



विषय- जनसूचना अधिकार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 15/08/1947 से अब तक कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट 1952 में गठित आयोगों के सम्बन्ध में सूचना महोदय,

कृपया निवेदन है कि दिनांक 15/08/1947 से अब तक भारत सरकार द्वारा कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट 1952 की धारा तीन अथवा अन्य प्रावधानों में गठित समस्त आयोगों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न सूचना प्रदान करने की कृपा करें-

1. उपरोक्त अवधि (दिनांक 15/08/1947 से अब तक) में धारा तीन में अलग-अलग कौन-कौन से आयोग गठित किये गए? इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सूची भी प्रदान करने की कृपा करें
2. इनमें से सभी आयोग कब-कब (अर्थात किस तिथि) को गठित किये गए?
3. इनमें से किस-किस जांच आयोग का कार्यकाल कब-कब और कितनी बार कितनी-कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया?
4. इनमें से किस-किस जांच आयोग ने आज दिनांक 15/05/2014 तक अपनी अंतरिम तथा/अथवा अंतिम जांच रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है?
5. जिन-जिन जांच आयोग ने अपनी अंतरिम तथा/अथवा अंतिम जांच रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है, उस जांच रिपोर्ट की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें
6. अभी तक किस-किस जांच आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं सौंपी है?
7. आज दिनांक 15/05/2014 को इनमें से कितने जांच आयोग अभी भी कार्यरत हैं?

इस सम्बन्ध में दस रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 27F 904907 प्रेषित कर रही हूँ. अतः अनुरोध है कि कृपया वांछित सूचना तत्काल प्रेषित करने की कृपा करें.

पत्र संख्या- NT/Comm/GOI/02
दिनांक-15/05/2014

भवदीय,

Nutan

(डॉ नूतन ठाकुर)

5/426, विराम खंड,

गोमती नगर, लखनऊ

94155-34525

JS (Jadhav)